

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं, 1325] · · No. 1325] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 16, 2012/आषाइ 25, 1934 NEW DELHI, MONDÄY, JULY 16, 2012/ASADHA 25, 1934

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिंसूचना

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2012

का,आ. 1581(अ) — केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शहद निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग ) नियम, 2002 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् । (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शहद निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण ,निरीक्षण और मानीटरिंग ) संशोधन नियम, 2012 है।

## (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2... शहद के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग ) नियम, 2002 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है ) के नियम 2 खंड (ट)के पश्चात निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः

(झ) मधुमक्खी पालक (बीकीपर) से ऐसा कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो मधुमक्खी पालन में अंतर्ग्रस्त हो या ऐसा करता हो और उसके पास मानव निर्मित/लकड़ी के फ्रेम में एपिस मेलिफेरा/ए सीराना/ए. ट्रीगोना (डंकरहित) में से प्रत्येक के दस फ्रेम वाली मधुमक्खियों की कम से कम दस कालीनियां हों, अभिप्रेत है।

(ड) "मधुमक्खी पालन कम्पनी बीकीपिंग कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित कोई कम्पनी जो मधुमक्खी पालन में अंतर्ग्रस्त हो, या ऐसा करता हों और उसके पास मानव निर्मित/लकडी के फ्रेम एपिस मेलिफेस/ए सिराना/ए. ट्रीयोना (डंकरहित) में से प्रत्येक के दस फ्रेम व मधुमिक्खयों की कम से कम दस कालीनियां हों. अभिप्रेत है।

- (ढं) बीकींपिंग फर्म से स्वामित्वाधिकार या साझेदारी के आधार पर चलाया जाने वाला कोई भी उच्चम जों भाधुमलखी पालम में अंतर्गरत हो या ऐसा करता हो और उसके पास मानव निर्मित//ताकडी के उन्हों में एंपिस में जिन्हों एं।ए सराना/ए ट्रीगोना (डंकरहित) में से प्रत्येक के व्यस प्रक्रेम जा मधुमिक्खंधों की कम से कम दस कालौनियां हों, अभिप्रेत है।
- (ण) "बीकीर्मिम सहस्रासी स्ंगेंसाइटी 'से सोसाइटी अधिनियम, 1860 के अंतर्गत रिजस्ट्रीकृत कोई भी सहस्रासी स्रोंसाइटी/सोसाइंटी मधुमक्खी पालन में अंतर्ग्रस्त हो या ऐसा करता हो और उसके पास मानव, निर्मित /लकडी के छत्तों में एपिस मेलिफेरा/ए. सिक्षना/ए. द्रीकोना (उंकरहित) में स्रो प्रत्येक के दस फ्रेम वा मधुमिक्खयों की कम से कम दस कालीनियां हों, अधिप्रेत है।
- (त) " रिजरट्रीकरण प्राधिकारी " से बीकीपर/बीकीपिंग कम्पनी/बीकीपिंग फर्म/बीकीपिंग सहकारी सोसाइटी को रिजरट्रीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त/प्राधिकृत निर्धारित कोई भी प्राधिकारी अभिप्रेत है,
- 3. मूल नियम के नियम 3 में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--
- 3. अनुपालन का आधारः शहद का क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण निम्नलिखित के अनुसार किया जाएगा ।
- (क) निर्यात किया जाने वाला शहद रिजस्ट्रीकृत बीकीपर और या बीकीपिंग कम्पनी और बीकीपिंग फर्म या बीकीपिंग सहकारी सोसाइटी से उपाप्त किया जाएगा और उसके उत्पादन, भंजरण तथा लाने ले जाने के सभी प्रक्रमों पर उसका रखरखाव, अच्छी विनिर्माण पद्धितयों तथा साफ सफाई की अच्छी पद्धितयों के आधार पर किया जाएगा।
- (ख) बीकीपर, बीकीपिंग कम्पनी, बीकीपिंग फर्म, बीकीपिंग सहकारी सोसाइटी का यह प्राथमिक दायित्वं होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि निर्यात किए जाने वाले शहद के संग्रहण, भंडारण तथा लाने ले जाने के प्रत्येक प्रक्रम पर साफ सफाई की तथा मधुमक्खी पालन की अच्छी पद्धतियां अपनाई गयी हैं जैसा कि स्वास्थ्य अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए इन नियमों में अधिकथित है।
- (ग) निर्यात किए जाने वाले शहद का निरीक्षण, यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जाएगा कि वह इस अधिनियम की धारा 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता दी गयी विशिष्टताओं के अनुरूप है,
- (i) यहं सुनिश्चित कियां जाएगा कि उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान नियम 4 के उपनियम 4.1 के अधीन निर्मारित मानकों का अनुपालन किया गया है,

- ( ii) नियम 4 के उपनियम 4.2 के अनुसार कार्यान्वित किए गए निरीक्षण और परीक्षण के आधार पर किया जाएगा।
- 4. मूल नियमों के नियम 4 में,-
- (क) उपनियम (4.1) के लिए निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात
- 4.1 नियम 3 के उपनियम (ग) का खंड (i) के अनुपालन के लिए अपनाई गयी प्रक्रिया इस प्रकार होगी:-
- (1) स्थापन का यह प्राथमिक दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे की निर्यात के लिए आशियत शहद का उत्पादन, भंडारण और परिवहन के सभी प्रक्रमों पर अच्छी स्वास्थ्यकर पध्वित और अच्छी विनिर्माणकारी अवस्थाओं में प्रसंस्करण और रखरखाव किया गया है। जिससे कि वह उत्पाद अधिनियग की धारा 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार हारा जारी किए गए आदेशा में दिए गए विनिर्देशों की पृष्टि हो।
- (ख) उपनियम (3) में, जहाँ भी 'स्थापना 'शब्द है , उसके स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :
- बीकीपर, बीकीपिंग कम्पनी, बीकीपिंग फर्म, बीकीपिंग सहकारी सोसाइटी, स्थापन
- (ग ) उपनियम 7 के लिए निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्
- (7) बीकीपर, बीकीपिंग कम्पनी, बीकीपिंग फर्म, बीकीपिंग सहकारी सोसाइटियों द्वारा मधुमक्खी पालन की अच्छी पिंदतयां अपनाई जा रही हैं तथा स्थापना द्वारा उत्पादन, भंखरण तथा शहद को लाने ले जाने के प्रत्येक प्रक्रम के दौरान अच्छी उत्पादन पद्धतियां अपनाई जा रही हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी बीकीपर, बीकीपिंग कम्पनी, बीकीपिंग फर्म, बीकीपिंग सहकारी सोसाइटी स्थापनों की नियमित मानीटरिंग, करेगा। इस योजना की प्रभावी मानीटरिंग के लिए परिषद इस संबंध में आवश्यक अनुदेश जारी करेगी:-
- (घ) उपनियम (८) के पश्चात्, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्
- '(9) बीकीपर, बीकीपिंग कम्पनी, बींकीपिंग फर्म, बीकीपिंग सहकारी सोसाइटी तथा स्थापमाओं का निरीक्षण तथा मानीटरिंग करने के लिए बीकीपर, बीकीपिंग कम्पनी, बीकीपिंग फर्म, बीकीपिंग सहकारी सोसाइटी स्थापनों से संबंधित अभिलेखों तक हर समय सक्षम प्राधिकारी की अबाध पहुँच होगी, जिससे इस अधिसूचना की अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

(इ) चपनियम ४:२: में 'शीर्षक '(भिरीक्षण की 'प्रंक्रिया नियम 3 के खंड (ख) के अबुसार होगी - के स्थान पर निर्मालेखित रखा जाएगा, अर्थात:-

निरीक्षण की प्रक्रिया निराम 3 के खंपिनयम (ग) के खंड (ii) के अनुसार कार्यान्वित

[फा. सं. 2/48/2011-निर्यात निरीक्षण] डी. एस. ढेंसी, संयुक्त सचिव

टिप्पण :--गूल नियम भारता के राजपंत्र असाधारण अधिसूचना सं. का०आ० 277 (ई) तारीख 04 मार्च, 2002 और खंठ काठआंठ 1444 द्वारा प्रकाशित किए गए और बाद में दिनांक 19 दिसम्बर, 2003 की अधिसूचना संठकाठआठ 1245 दिनांक 14 मई, 2004 तथा अधिसूचना सं0 का०आ० 1518 दिनांक 16 जून, 2008 के द्वारा संशोधित किए गए।

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (Department of Commerce) NOTIFICATION

New Delhi, the 16th July, 2012

S.O. 1581(E) In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Export of Honey (Quality Control, Inspection and Monitoring) Rules, 2002: -

- These rules may be called the Export of Honey (Quality Control, Inspection and Monitoring) Amendment Rules, 2012. 1. (1)
  - They shall come in force from the date of their publication in the Official Gazette.
- In the Export of Honey (Quality Control, Inspection and Monitoring) Rules, 2002, (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 2, after clause (k), the following shall be inserted, namely:-
  - "Bee Keeper" means any individual or group of individuals, involved in and practicing beekeeping and having at least ten honey bee colonies, each of "(1) ten frames, of Apls mellifera / A. cerana / A. trigona (Stingless), in manmade / wooden beehives;
  - "Beekeeping Company" means any company incorporated under the Companies Act 1956, involved in and practicing beekeeping and having at (m)least ten honey bee colonies, each of ten frames, of Apis mellifera / A. cerana / A. trigona (Stingless), in manmade / wooden beehives;
  - "Beekeeping Firm" means any enterprise run under proprietorship or partnership basis, involved in and practicing beekeeping and having at least . (n) ten honey bee colonies, each of ten frames, of Apis mellifera / A. cerana / A. trigona (Stingless), in manmade I wooden beehives;

- (o) "Beekeeping Cooperative Society" means any Cooperative Society / Society registered under the Societies Act 1860, involved in and practicing beekeeping and having at least ten honey bee colonies, each of ten frames, of Apis mellifera / A. cerana / A. trigona (Stingless), in manmade / wooden beehlves;
- (p) "Registering Authority" means any authority recognised / authorised / designated by the Competent Authority to register Bee Keeper / Beekeeping Company / Beekeeping Firm / Beekeeping Cooperative Society.".
- 3. In the principle rules, for rule 3, the following shall be substituted, namely:-.
  - 3. Basis of Compilance.-The quality control and Inspection of honey shall be carried out as follows:-
    - (a) The honey intended for export shall be procured from registered Bee Keeper and or Beekeeping Company and or Beekeeping Firm and or Beekeeping Cooperative Society and handled at all stages of production, storage and transport based on good manufacturing practices (GMP) and good hygienic practices (GHP).
    - (b) It is primary responsibility of the Bee Keeper, Beekeeping Company, Beekeeping Firm, Beekeeping Cooperative Society to ensure that honey intended for export is collected and handled at all stages of collection, storage and transportation following good hygienic practices and good beekeeping practices so as to meet the health requirements laid down under these rules.
    - (c) Inspection of Honey Intended for export shall be carried out with a view to ensuring that the same conforms to the specifications recognised by the Central Government under section 6 of the Act either-
      - by ensuring that during the process of production, measures stipulated under sub rule 4.1 of rule 4 are compiled with;
      - on the basis of inspection and testing carried out in accordance with sub rule 4:2 of rule 4.".
  - 4. In the principal rules, in rule 4,-
    - (a) for sub-rule (4.1), the following shall be substituted, namely:-
      - "4.1 The procedure to be followed for compliance under clause (i) of sub rule (c) of rule 3 shall be as under:-
        - (1) It is the primary responsibility of the establishment to ensure that honey intended for export is processed and handled at all stages of production, storage and transport following good hygienic practices and good manufacturing practices so as to ensure that the same conforms to the specifications given in the order by the Central Government under section 6 of the Act.";

- (b) In sub-rule (3) for the word "establishments", wherever they occur the following shall be substituted namely:-
  - "Beekeeper, PBeekeeping (Company, Beekeeping Firm, Beekeeping Cooperative Society, establishment;";
- (c) for sub-rule (7) / the followings shall be substituted, namely:-
- "(7)The Competent Authority shall conduct regular monitoring of the Bee Keeper, Beekeeping Company, Beekeeping Firm, Beekeeping Cooperative Society, and Establishments to ensure that good hygienic practices and good heakeaping practices are adopted by Bee Keeper, Beekeeping Company, Beekeeping Firm, Beekeeping Cooperative Cociety and good manufacturing practices and good hygienic practices are adopted by the establishment at all stages of production, storage and transport of honey. For effective monitoring of the scheme, the Council shall issue necessary instructions in this regard.
- (d) after sub-rule(8), the following shall be inserted, namely:-
- "(9) For carrying out inspection and monitoring of Beekeeper, Beekeeping Company, Beekeeping Firm, Beekeeping Cooperative Society, and Establishment, the Competent Authority shall have free access, at all times, to all parts of the Beekeeper, Beekeeping Company, Beekeeping Firm, Beekeeping Cooperative Society, Establishment and records pertaining to application of this notification in order to ensure compliance with the requirements of this notification.";
- (e) In sub-rule 4.2, for the heading "The procedure of inspection under clause (b) of rule 3 shall be carried out as under:-", the following shall be substituted, namely:-
  - "The procedure of inspection under clause (ii) sub rule (c) of rule 3 shall be carried out as under:-".

[F. No. 2/48/2011-Export Inspection]

D. S. DHESI, Jt. Secy.

Note: - The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* notification Number S.O. 277(E) dated 04<sup>th</sup> March 2002, and subsequently amended *vide* notification number S.O. 1444 dated 19<sup>th</sup> December 2003, notification number S.O. 1245 dated 14<sup>th</sup> May 2004, and S.O. 1518 dated 16<sup>th</sup> June 2008.